धारा 62 : विवरणियों को फाइल न करने वाले व्यक्तियों का निर्धारण

(1) धारा 73 या धारा 74 [1][या धारा 74क] में तत्प्रतिकूल किसी बात के अंतर्विष्ट होते हुए भी, जहां कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति धारा 46 के अधीन सूचना की तामील के पश्चात् भी धारा 39 या धारा 45 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहता है वहां समुचित अधिकारी अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि और उपलब्ध तात्त्विक सामग्री या उस सामग्री, जिसको उसने एकत्रित किया है, को गणना में लेने के पश्चात् उक्त व्यक्ति के कर दायित्व का निर्धारण करने के लिए अग्रसर होगा तथा वित्तीय वर्ष, जिससे असंदत्त कर संबंधित है, की वार्षिक विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए धारा 44 के अधीन विनिर्दिष्ट तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर निर्धारण आदेश जारी करेगा।

(2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील से [2][साठ दिन] के भीतर विधिमान्य विवरणी प्रस्तुत कर देता है, वहां उक्त निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा किंतु धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय या धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायित्व बना रहेगा।

[3][**परंतु** जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन के भीतर विधिमान्य वापसी करने में असफल रहता है, वहां वह साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर उक्त निर्धारण आदेश की तामील के साठ दिन से परे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए अतिरिक्त विलंब शुल्क के संदाय पर कर सकेगा और ऐसे मामले में निर्धारण आदेश का प्रतिसंहरण किया गया समझा जाएगा, किन्तु धारा 50 की उपधारा (1) अधीन ब्याज के संदाय का या धारा 47 के अधीन विलंब फीस के संदाय का दायित्व जारी रहेगा।]

उपयुक्त नियमः नियम 100

उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी एएसएमटी–13

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

2 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा ''तीस दिन'' शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।

3 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा परंतुक अंतःस्थापित। (प्रभावशील दिनांक 01.10.2023)।